अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक– 3300 /FP/UK/ROAD/12951/2015:देहरादून:दिनांक: 29 मार्च, 2018

सेवा में,

1. अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0,
गौचर, चमोली।

2. प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत गौचर–सिदोली–धनपुर मोटर मार्ग (कि0मी0 24.500 से कि0मी0 27.500 तक) के निर्माण हेतु 2.230 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभागको प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन पत्रावली सं0– FP/UK/ROAD/12951/2015)

सन्दर्भः–भारत सरकार का ई0डी0एस0 दिनांक 07–02–2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित ई0डी0एस0 दिनांक 07–02–2018 के द्वारा कतिपय सूचना चाही गयी गयी थी, जिसके क्रम में आपके द्वारा जो सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है वह भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना के अनुरूप नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना उसी रूप में विस्तृत रूप से बिन्दुवार इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। उल्लेखनीय है कि आपके द्वारा बार–बार भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना उसी रूप में विस्तृत रूप से प्रेषित नहीं की जा रही है, जिसके फलस्वरूप प्रकरण आपको बार–बार वापस किया जा रहा है व प्रकरण का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण पर भारत सरकार के ई0डी0एस0 दिनांक 07–02–2018 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि भारत सरकार द्वारा वांछित सूचना उसी रूप में विस्तृत रूप से बिन्दुवार इस कार्यालय को ऑनलाईन उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि कोई सूचना भारत सरकार को हार्ड प्रति में प्रेषित की जानी है तो उसकी तीन हार्ड प्रतियाँ भी मूल प्रति सहित यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

For

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्याः– 3300 / FP/UK/ROAD/12951/2015 दिनाँकित

प्रतिलिपि निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बॉयोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पत्रांक 3702 / 12-1 दि0 03/04/2018

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग को प्रेषित। कृपया उक्त प्रकरण पर निर्देशानुसार शीघ्र कार्यवाही करें।

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

2/4/18